संख्या– ✓ /XVIII(II)/2021–07(46)/2008

प्रेषक,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

राजस्व अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 16 नवम्बर, 2021

विषयः– प्रदेश में वर्ग–3 भूमि के पट्टेदारों/कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने तथा वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जाधारकों को भूमिधरी का अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–958/दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या–959/02 नवम्बर, 2020 की समयावधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन द्वारा शासनादेश संख्या–958/XVIII(II)/2021–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रदेश में वर्ग–4 की भूमि के अवैध कब्जों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने तथा शासनादेश संख्या–959/XVIII(II)/2021–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 द्वारा प्रदेश में वर्ग–3 की भूमि के पट्टेदारों को संक्रमणीय भूमिधरी का अधिकार प्रदान करते हुए विनियमितीकरण किये जाने के आदेश निर्गत किए गये है। सम्प्रति उक्त शासनादेशों के प्रभावी रहने की समय–सीमा 02 नवम्बर, 2021 को समाप्त हो चुकी है।

2– उक्त शासनादेशों की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त सन्दर्भो पर शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या–958/XVIII(II)/2021–07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 तथा शासनादेश संख्या–959/XVIII(II)/2021– 07(46)/2008, दिनांक 02 नवम्बर, 2020 की समय–सीमा इस शासनादेश निर्गत होने की तिथि से आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

भवदीय,

(डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम)
सचिव।

....2

संख्या–1553/XVIII(II)/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
6– निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव)
अपर सचिव।